भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.481
06 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्यवर्धन एवं परिरक्षण अवसंरचना योजना

481. श्री पी. सी. मोहन:
श्री रतन सिंह मगनसिंह राठौड़:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्यवर्धन एवं परिरक्षण अवसंरचना' योजना के, विशेषकर खेत से लेकर उपभोक्ता तक निर्बाध शीत श्रृंखला बनाने के संदर्भ में, प्रमुख घटक और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या उक्त योजना एकीकृत शीत श्रृंखला सुविधाओं को सुगम बनाने में गैर-बागवानी, बागवानी, मत्स्य/समुद्री, डेयरी, मांस और मुर्गी पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना लागू कर रहा है। योजना का उद्देश्य गैर-बागवानी उत्पादों, डेयरी, मांस, पोल्ट्री और मरीन/मछली (झींगा को छोड़कर), फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए फार्म गेट से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला, परिरक्षण और मूल्यवर्धन अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है।

इस योजना की प्रकृति मांग आधारित है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र संस्थाओं में व्यक्तियों के साथ-साथ इकाई/संगठन जैसे किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियां, गैर-सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, फर्म, कंपनियां आदि शामिल हैं, जिनकी शीत श्रृंखला समाधानों में व्यावसायिक रुचि है तथा जो आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करते हैं।

योजना के घटक फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, प्रसंस्करण केंद्र, वितरण केंद्र, रेफ्रिजरेटेड वैन/रेफ्रिजरेटेड ट्रक/इंसुलेटेड वैन/मोबाइल इंसुलेटेड टैंकर हैं। यह योजना एक स्टैंडअलोन घटक के रूप में विकिरण सुविधा के निर्माण में भी सहायता करती है। यह योजना खेत स्तर पर शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।

योजना के अंतर्गत, एमओएफपीआई सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ और स्वयं सहायता समूह के अधीन परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक अनुदान सहायता प्रदान करता है। अब तक, एमओएफपीआई ने 38.82 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) परिरक्षण क्षमता और 148.07 एलएमटी प्रसंस्करण क्षमता प्रति वर्ष तैयार करने के लिए 372 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 35.53 लाख किसानों को लाभ होगा और 2.23 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

******